38/2010 मोहन — मुरली वगै

5.3.2018

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 8 ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी पुराने ख0नं0 919, 921, 1311, 1312 कुल किता-4 रकबा20 बीघा 7 बिस्वा जिसके वर्तमान सैटलमेन्ट में ख0नं0 2662, 2667, से 2671, 2805, 2814, 2815, 2816, 2818, से 2821 कुल किता- 14 रकबा 5.32 हैक्टर तन ग्राम महरोली में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है ।उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी शामलाती रूप से मौके पर काबिज काश्त है । मुताबिक सजरा खानदान दादा बिडदूराम के चार पुत्र गोदाराम, भैंरूराम, कानाराम व रामचन्द्र हुये। जिनमें परिवार में वरवक्त सैटलमेन्ट गोदाराम बडा होने से तथा कानाराम परिवार में कर्त्ता खानदान होने से वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट में उक्त आराजी की खातेदारी गोदाराम व कानाराम के नाम से ही दर्ज हो गई । जबकि उक्त आराजी पर आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण शामिल में काश्त करते आ रहे हैं । जिसमें वादी सं0-1 से 3 का 1/12 हिस्सा, वादी सं0 4 व 5 का 1/12, 1/12 हिस्सा, वादी सं0-6 से8 का 1/12, 1/12 हिस्सा अर्थात वादीगण एवं इनके पूर्वजों भैंरू व चन्द्रा का उक्त आराजी में 1/4, 1/4 हिस्सा है। जिसकी घोषणा कराने के अधिकारी है । योग्य अदालत मातहत ने वादीगण का दावा बाद सुनवाई डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उप अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत ने वादीगण की तामिल विधिवत करवाये बिना ही तथा प्रतिवादी सं0- 2 से 6 के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी न होना जाहिर किया जाना आदेशिका पर अंकित है किन्तु अदालत मातहत ने हिदायत पैरवी न होने की बात अंकित करके प्रतिवादी को बिना नोटिस दिये ही वाद को एकपक्षीय डिक्री करने में कानूनी भूल की है । तथा दावे में विधिक प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया गया है अदालत मातहत ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना विश्लेषण किये पारित किया है वादीगण ने अदालत मातहत में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बाला बाला आदेश प्राप्त किया है । अत: अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2060 से 2063 में ख0नं0 2662, 2667 से 2671, 2805, 2814 2815, 2816, 2818 से 2821 कुल किता-14 रकबा 5.32 हैक्टर की खातेदारी सूरजी बेवा काना, नारायण बाबूलाल भंवरलाल पि0 काना हि0 2/5, मूली बेवा बनवारी, मुकेश गोकुल, जेकी पि0 बनवारी हि0 1/10, मोहनलाल दत्तक पुत्र गोदाराम हि0 1/2 के नाम दर्ज है । आदेशिका दिनांक 6-11-2007 में प्रतिवादी सं0 2 से 6 एवं 9 की ओर से श्री सुभाष पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करना दर्ज किया तथा प्रतिवादी सं0-1 व 7 का वकालतनामा आईन्दा पेश करने का निवेदन किया । सुभाष पारीक वकील ने

दिनांक	आज्ञा पत्र	

सं0-2 व 3 के ही अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षर है शेष के कोई हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है साथ ही आदेशिका दिनांक 07-6-2010 में प्रतिवादी ने दावे में हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजीर नहीं आये दर्ज किया गया है । प्रतिवादी सं0 2 से 7 के नोटिस [illegible]सं0- एक ही व्यक्ति मोहनलाल द्वारा लिये जाने दर्ज किये हैं।कानूनन जब प्रतिवादीगण के वकील ने हिदायत पैरवी नहीं है अदालत को बता दिया तो अदालत मातहत को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर न कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का कोई अवसर न देकर आदेश पारित किया है। जिसे हम यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते बल्कि प्रकरण को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दि0 23-6-2010 खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये विधिक प्रक्रिया अपना कर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 6-4-2018 को उपस्थित होवें ।